रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2000/फाल्गुन 16, 1921
No. 143] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2000/PHALGUNA 16, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000

का.आ. 197(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित, सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 3-6-160, पंचायत राज चैम्बर्स बिल्डिंग, स्ट्रीट सं. 17, उर्दू गली, हिमायत नगर, हैदराबाद-500029 में स्थित है, का आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 3-6-160, पंचायत राज चैम्बर्स बिल्डिंग, स्ट्रीट सं. 17, उर्दू गली, हिमायत नगर, हैदराबाद-500029 में स्थित है, समामेलन किया जाए क्योंकि दोनों कम्पनियां एक ही प्रकार का क्रियाकलाप कर रही हैं और ऐसा संक्रियाओं में सहयोग प्राप्त करने के लिए और ऊपरि खर्च को घटाने तथा एक ही कार्य को दुबारा न होने देने के लिए है।

और आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन ने आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 18 अप्रैल, 1998 को हुए असाधारण सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा कर दिया है ;

और आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद ने आन्ध्रप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन, हैदराबाद के साथ आपने समामेलन का अनुमोदन 18 अप्रैल, 1998 को हुए असाधारण सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा कर दिया है ;

और समामेलन के लिए प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की एक प्रति पूर्वोक्त कम्पनियों को अर्थात् आन्ध्र प्रदेश अर्बन डेवल्पमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन, हैदराबाद और आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, दो समाचारपत्रों में उनके प्रकाशन के लिए भेजी गई थी;

और आन्ध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन, हैदराबाद के आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के साथ समामेलन की स्कीम दि न्यू इंडियन एक्सप्रैस में, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक सामाचारपत्र है, 6-8-1999 को प्रकाशित की गई थी और 7 अगस्त, 1999 को आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय भाषा के एक समाचारपत्र में समामेलन के लिए प्रस्तावित कम्पनियों से या किसी शेयरधारक या किसी ऋणदाता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और आन्ध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों के सिवाय कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्रूप से विचार किया गया है ;

अत: केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन का आंध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम**-इस आदेश का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन और दि आंध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2000 है।

2. **परिभाषाएं**-इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता हैं;

(ख) "विघटित कम्पनी" से आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन अभिप्रेत है;

(ग) परिणामी कम्पनी से आंध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है।

3. **शेयरधारण स्वरूप**-(क) 4 मार्च, 1997 को दोनों कम्पनियों का शेयरधारण स्वरूप निम्नलिखित रूप में हैं-

(i) आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन :

क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	प्रत्येक एक हजार रुपए के साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयर पूंजी की रकम (रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल	2497	24,97,000
2.	श्री बी. धनम., भा. प्र.से.	1	1,000
3.	श्री एम.वी.एस.प्रसाद, भा.प्र.से.	1	1,000
4.	श्रीमती जानकी आर. कोडपी भा.प्र.से.	1	1,000
		कुल 2500	25,00,000

(ii) आंध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड :

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	प्रत्येक एक हजार रुपए के साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयर पूंजी की रकम (रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश के महामाहिम राज्यपाल	2497	24,97,000
2.	श्री बी. धनम., भा.प्र.से.	1	1,000
3.	श्री अनिल सी. पुनैया, भा.प्र.से.	1	1,000
4.	श्री एन वी. नरसिम्हा राव	1	1,000
	कुल	2500	25,00,000

(ख) विघटित कम्पनी के सभी शेयर जो अब आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और तीन अन्यों के नाम में धारित हैं, रद्द हो जाएंगे।

(ग) चूंकि सम्पूर्ण शेयरपूंजी आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और उनके नामनिर्देशितियों के नाम में धारित है, अत: परिणामी कम्पनी से यह अपेक्षा नहीं होगी कि ऐसे व्यक्तियों को आगे और कोई सूचना भेजे जिनके नाम विघटित कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में नियत दिन के ठीक पूर्व अंकित हों।

4. **कम्पनियों का समामेलन-(i)** नियत दिन से ही आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एण्ड हाऊसिंग कार्पोरेशन का समस्त कारबार और उपक्रम, जहां भी जैसा भी है, जिसके अन्तर्गत सभी सम्पतियां, जंगम या स्थावर और अन्य आस्तियां चाहे वे जिस प्रकृति की हों, जिनके अन्तर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे, अभिधृति, अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान,स्टाक व्यापार, कर्मशाला औजार, अभिवाहन में माल, धनों के अग्रिम, सभी प्रकार के बही खाता ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय पत्र और प्रत्येक वर्णन के सभी अधिकार और शक्तियां आती हैं किन्तु विघटित कम्पनी की उक्त सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आड्मान, प्रतिभूतियां और किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए बिना किसी आगे की कार्रवाई या विलेख के प्रवृत्त विधि के अनुसार परिणामी कम्पनी को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या उसमें अन्तरित और निहित समझे जाएंगे।

(ii) लेखाक्रम के प्रयोजनों के लिए समामेलन उक्त दोनों कम्पनियों के 31 मार्च, 1997 को संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्रों के प्रति निर्देश से प्रभावी किया जाएगा और उसके पश्चात् के संव्यवहार एक सम्मिलित खाते में पूल किए जाएंगे। विघटित कम्पनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उसके अन्तिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कम्पनी 31 मार्च, 1997 के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियां और दायित्व ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण-विघटित कम्पनी के परिवचन के अन्तर्गत विकास/रिबेट आरक्षिति, यदि कोई हो, सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, आती हैं जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष, विनिधान ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत सभी अन्य हित और अधिकार जो नियत दिन से ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हो, या उसके कब्जे में हों, और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज और विघटित कम्पनी तब विद्यमान किसी भी किस्म के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी आते हैं।

5. **सम्पति की कुछ मदों का अन्तरण**-इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियत दिन को विघटित कम्पनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों, यदि कोई हों, और विघटित कम्पनी की राजस्व आरक्षितियां या कमियां या दोनों, यदि कोई हों, जब परिणामी कम्पनी को अन्तरित होती है तो वे परिणामी कम्पनी के, यथास्थिति, क्रमशः लाभ और हानियों और राजस्व आरक्षितियों या कमियों का भागरूप होंगे।

6. **संविदाओं आदि की व्यावृति**-इस आदेश में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखित, जिसकी विघटित कम्पनी पक्षकार है, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विधमान हैं या प्रभाव रखते हैं, परिणामी कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्षों में पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कम्पनी के स्थान पर परिणामी कम्पनी उसकी एक पक्षकार रही हो।

7. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति**-यदि नियत दिन को विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाहियां लम्बित हों तो विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी को अन्तरण हो जाने या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा या वह रोकी नहीं जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी किन्तु वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही उसी रीति में और उसी सीमा तक परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, अभियोजन किया जा सकेगा और प्रवृत्त की जा सकेगी जिस प्रकार यदि वह इस आदेश के न किए जाने पर विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रहती, अभियोजित की जाती या प्रवृत्त रहती।

8. **कराधान की बाबत उपबन्ध**- नियत दिन के पूर्व विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षयण भी हैं) की बाबत सभी कर परिणामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात की जाए।

9. **विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध**:-विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कंपनी के निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से ही परिणामी कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह विघटित कंपनी में धारण करता यदि यह आदेश नहीं किया गया होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि परिणामी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या पारस्परिक सहमति द्वारा उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

10. **निदेशकों की स्थिति** :-विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है नियत दिन को विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. **भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां**- आयकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों की अनुपालना के अधीन रहते हुए विघटित कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि किसी अन्य निधियों के न्यासी नियत दिन को न्यास की निधियों का अंतरण परिणामी कंपनी को करेंगे जो ठीक नियत दिन

से उपरोक्त धन का एक या अधिक न्यासों में गठन करेंगे जिनके उद्देश्य निबंधनों और शर्तें वहीं होगी जो विद्यमान न्यास की हैं या उक्त विद्यमान निधियों का परिणामी कंपनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासों को अंतरण किया जा सकेगा और विघटित कंपनी तथा परिणामी कंपनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारीयों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

12. **भविष्य निधि की सदस्यता** :-विघटित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके कि वह सदस्य हैं और परिणामी कंपनी के राजपत्र में आदेश के प्रकाशन के नियत दिन से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजक या अभिदाय उसी दर से करेगी और करती रहेगी जिस दर से विघटित कंपनी करती रही है।

13. **आंध्र प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट और हाऊसिंग कारपोरेशन का विघटन** :-इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत दिन से ही आन्ध्र प्रदेश अरबन डेवलपमेंट और हाऊसिंग कारपोरेशन का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध उसके ऐसे निदेशक या अधिकारी के हैसियत में न तो कोई दावा करेगा न कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा सिवाय वहां तक जहां तक यह इस आदेश के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक हो।

14. **कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण** :-केन्द्रीय सरकार इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र हैदराबाद स्थित कंपनी रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा, जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश परिणामी कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा उसके पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की, जिसके साथ विघटित कंपनी का समामेलन किया गया है, फाइल में रखेगा और इन्हें समेकित करेगा तथा इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

15. **परिणामों के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद** -आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएगा।

[फा.सं. 24/07/98/सीएल-III]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2000

S.O. 197(E).—Whereas the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at 3-6-160, Panchayat Raj Chambers Building, Street No. 17, Urdu Galli, Himayatnagar, Hyderabad-500029 be amalgamated with the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at 3-6-160, Panchayat Raj Chambers Building, Street No. 17, Urdu Galli, Himayathnagar, Hyderabad-500029, as both the companies are involved in the same activity and in order to have synergy of operations and to reduce the overhead costs and eliminate the duplication of work;

And whereas the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation approved its amalgamation with the Andhra Pradesh State Housing Corporation limited by resolution passed by the shareholders of the company in the extraordinary general meeting held on the 18th April, 1998;

And whereas the Andhra Pradesh State Housing Corporation limited, Hyderabad, approved the amalgamation with it of the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation, Hyderabad, by resolution passed by the shareholders of the Former Company in the extraordinary general meeting held on the 18th April, 1998;

And whereas a copy of the proposed Order for amalgamation was sent in draft to the aforesaid companies, namely, the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation, Hyderabad and the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited, Hyderabad for its publication it two newspapers inviting objections and suggestions;

And whereas the scheme of amalgamation of the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation, Hyderabad with the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited, Hyderabad was published on 06-08-1999 in The New Indian Express, being a newspaper published in English language and on the 7th August, 1999 in Andhra Pradesh being a newspaper published in regional language, for inviting objections and suggestions from the Companies proposed to be amalgamated or from any shareholder or from any creditor;

And whereas no objections and suggestions were received except from employees of the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation which have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation with the Andhra Pradesh Urban State Housing Corporation Limited, namely :—

1. **Short title.**—This Order may be called the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation and the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited (amalgamation) Order, 2000.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires :—

(a) "appointed day" means the date on which this Order is notified in the Official Gazette;

(b) "dissolved company" means the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation;

(c) "resulting company" means the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited.

3. **Shareholding pattern.**—(a) The shareholding pattern of the two Companies as on the 4th March, 1997 is as under :

(i) Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation :

Serial No.	Name of the Shareholder	Number of equity shares of Rs. 1000/- each	Amount of equity share Capital (Rs.)
1	2	3	4
1.	His Excellency the Governor of Andhra Pradesh	2497	24,97,000
2.	Shri B. Danam, IAS	1	1000/-
3.	Shri M.V.S. Prasad, IAS	1	1000/-
4.	Smt. Janki R. Kondapi, IAS	1	1000/-
	Total	2500	25,00,000

(ii) Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited :

Serial No.	Name of the Shareholder	Number of equity shares of Rs. 1000/- each	Amount of equity share Capital (Rs.)
1.	His Excellency the Governor of Andhra Pradesh	2497	24,97,000
2.	Shri B. Danam, IAS	1	1000/-
3.	Shri Anil C. Punetha, IAS	1	1000/-
4.	Shri N. V. Narasimha Rao, IAS	1	1000/-
	Total	2500	25,00,000

(b) All the shares of the dissolved company which are now held in the name of His Excellency, the Governor of Andhra Pradesh and three others shall be cancelled.

(c) Since the entire share capital is held in the name of His Excellency, the Governor of Andhra Pradesh and his nominees, the resulting company shall not be required to send any further notice to the persons, whose names appear immediately before the appointed day, in the Register of Members of the dissolved company.

4. **Amalgamation of Companies.**—(i) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation in as is where is condition, including all the properties, movable or immovable and other assets of whatsoever nature, including machinery and all fixed assets, leases, tenancy rights, investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop tools, goods-in-transit, advances of monies, all kinds of book-debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits,

imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecations, guarantees, and all rights whatsoever, affecting the said properties of dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in the resulting company in accordance with the law in force.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31st March, 1997 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common acccount. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as on the 31st day of March, 1997 of the dissolved company and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation.—The undertaking of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of, the dissolved company, immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. **Transfer of certain items of property.**—For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. **Saving of contracts, etc.**—Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto.

7. **Saving of legal proceedings.**—If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

8. **Provisions with respect to taxation.**—All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. **Provisions respecting officers and other employees of the dissolved company.**—Every whole-time officer or other employee (excluding the directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company, shall, as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he would have held the same under the dissolved company, if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. **Position of directors.**—Every director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. **Provident, Superannuation, Welfare and other Funds.**—Subject to the compliance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the trustees of the Provident Fund or Superannuation Fund or Welfare Fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the Trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. **Membership of Provident Fund.**—All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employees Provident Fund under the Scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the appointed day of publication of this Order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said employees provident fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

13. **Dissolution of the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation.**—Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Andhra Pradesh Urban Development and Housing Corporation shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. **Registration of the Order by the Registrar of Companies.**—The Central Government shall, as soon as may be, after this Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Andhra Pradesh at Hyderabad, a copy of this Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under this hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. **Memorandum and Articles of Association of the resulting company.**—The Memorandum and Articles of Association of the Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F.No. 24/07/98/CL-III]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054